न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—199/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/199)

1. नन्दराम पुत्र श्री किशना, आयु—32 वर्ष, जाति — जाट, निवासी—ग्राम धोलपुरिया, तहसील—अंराई जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गोपी पुत्र देवा
2. झमरी पत्नि देवा
3. गणेशी देवी पत्नि नारायण
4. जगदीश पुत्र गोपीराम
5. नारायण पुत्र माधू
   सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
6. रामराज पुत्र गोपी चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
7. बैंक ऑफ बडौदा जरिए शखा प्रबंधक, शाखा कटसूरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
8. उप—पंजीयक अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
9. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, अंराई तहसील जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.02.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई राजस्व वाद संख्या 13/2024

उपस्थितः—

1. श्री कुशकुमार सिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय पोषक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8 व 9
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 4, 6 व 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—19.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर

प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 28.02.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 4, 6 व 7 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध देस्तावज व साक्ष्यो कि अनदेखी कर प्राथमिक डिक्री पारित की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के सीमाओ में निवास करता है ऐसी स्थिती में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार तामील कुलिन्दा के माध्यम से समन/नोटिस की तामील करवाई जानी थी जिससे यह स्पष्ट हो जाता कि अपीलान्ट ग्राम कालानाडा में निवास नहीं करके ग्राम धौलपुरिया में निवास कर रहा है जिससे अपीलान्ट को समन/नोटिस की सम्यक रुप से तामील की जा सकती परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियमों की अवेहलना करते हुए समन के तामील कराकर विधिविरुद्ध प्राथमिक डिक्री पारित कि गई इसलिये ऐसी प्राथमिक डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बगैर ही दिनांक 03.05.2024 को वकिल विजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा में अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की अनुज्ञा जारी नहीं कि गई अपितु अन्य प्रतिवादीगण की और से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वकिल विजेन्द्र सिंह के द्वारा दी गई सहमति मानते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कि गई जो कि विधिविरुद्ध है इसलिये ऐसी प्राथमिक डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के हितो की अनदेखी करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की गई इसलिये ऐसी प्राथमिक डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का एवं वाद में प्रतिरक्षा करने का कोई भी समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी वाद में हितो की प्रतिरक्षा नहीं कर सका एवं अपनी आप्पतियाँ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं उठा सका इसलिये सुनवाई के अधिकार दिये बगैर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादी गोपी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन हेतु वाद संस्थित किया गया है उक्त अपील मात्र विभाजन नहीं होने की नियत से प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी भी उक्त वादग्रस्त आराजीयात में सह खातेदार काबिज काश्त है। विभाजन के वाद में वादी एवं प्रतिवादी दोनों के समान हित निहित होते है तथा प्रत्यर्थी वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन चाहता है परन्तु अपीलार्थी का उक्त कृत्य बिना

किसी आधार के अपील कर मात्र विभाजन के वाद को लम्बित करने का है। अपीलार्थी ने अपील में मुख्य आधार स्वयं को वाद की विधिवत तामील नहीं होने से वाद कार्यवाही की जानकारी नहीं होने बाबत लिया है तथा अपने द्वारा लिये गये उक्त आधार को साबित करने के लिये किसी प्रकार की कोई दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जबकि अपीलार्थी स्वयं को वाद के सम्मन की प्रोपर तामील हो जाने का रेकार्ड न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को वाद संस्थन के अगले दिन ही तामील होकर वाद कार्यवाही की समुचित जानकारी हो गई थी परन्तु अपीलार्थी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो स्वयं ना ही अधिवक्ता के हाजिर हुआ है। यहां अवधारण योग्य बिन्दु यह है कि यदि किसी पक्षकार की मुकदमा कार्यवाही में तामील हो जाती है बावजूद इसके वो कभी न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा कितने वर्षो तक उस प्रतिवादी के उपस्थित आने व जवाब प्रस्तुत करने का इन्तजार किया जायेगा ? दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब कोई पक्षकार वाद कार्यवाही की जानकारी के बावजूद न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित आता है तो ऐसी अवस्था में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया जाना विधि की कोई त्रुटी है। क्या किसी पक्षकार के बाद जानकारी जानबूझकर अनुपस्थिति किसी वाद कार्यवाही को अन्तहीन बना देगी ? सिविल प्रक्रिया संहिता व रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विपरीत अपीलार्थी द्वारा मनगढन्त आधारों पर उक्त अपील संस्थित की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से बखूबी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को वाद संस्थन के दूसरे ही दिन यानि दिनांक 13.04.2024 को ही वाद कार्यवाही के सम्मन तामील हो जाने से समुचित जानकारी रही है फिर भी अपीलार्थी जानबूझकर वाद कार्यवाही में शामिल होने से बचता आया है तथा जब वाद अपने विधिवत न्यायोचित विश्निचय की ओर अग्रसर है तब ऐसी अवस्था में बिना किसी आधार के वाद को लम्बित करने हेतु उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संस्थित कर दी गई है। अपीलार्थी का यह अभिवचन रहा कि वह करीबन 10–12 वर्षों से गांव कालानाड़ा में निवास नहीं कर ग्राम धौलपुरिया में निवास करता चला आ रहा है जबकि अपीलार्थी स्वयं द्वारा वर्ष 2016 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात के बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन हेतु एक वाद संस्थित किया गया था। उक्त वाद पत्र में अपीलार्थी ने स्वयं को ग्राम कालानाड़ा का ही स्थाई निवासी होना प्रकट कर वाद संस्थित किया था तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत शपथ पत्र में भी स्वयं का स्थाई पता ग्राम कालानाड़ा होना स्वयं का ग्राम कालानाड़ा का निवासी होना प्रकट कर शपथ पूर्वक उक्त शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया था। उक्त वादपत्र जो अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया था कि सत्यापित प्रतिलिपि प्रत्यर्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 के अधीन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार फरमाई जाकर माननीय न्यायालय के रेकार्ड पर ली जा चुकी है। अपीलार्थी का यह अभिवचन कि वह गत 10–12 वर्षों से ग्राम धौलपुरिया में निवास करता है तथा उसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अपीलार्थी स्वयं के वाद पत्र मय शपथ पत्र जिसमें कालानाड़ा का स्थाई निवासी होना शपथ पूर्वक बयान किया गया है की सत्यापित प्रतिलिपि से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अपील में झूठे एवं मिथ्या अभिवचन स्वयं के धौलपुरिया का निवासी होने से सम्मन की तामील नहीं होने तथा वादी द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कालानाड़ा का निवासी होना के तथ्य मिथ्या अंकित कर विधि विरूद्ध रूप से उक्त अपील संस्थित की गई है। अपीलार्थी को वाद कार्यवाही की बाद सम्मन तामील से तथा पूर्व से ही समुचित जानकारी रही है क्योंकि वादी स्वयं का वाद नवम्बर 2025 तक

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के विभाजन अनुतोष का इसी वादग्रस्त आराजीयात का विचाराधीन रहा है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित आदेश प्राथमिक डिक्री बााई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन की पारित फरमाई गई है। ऐसी अवस्था में वादी मई 2025 में माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संस्थित कर प्राथमिक डिकी आदेश बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन का विरोध कर रहा है तथा दूसरी ओर स्वयं 2016 से ही वाद संस्थित कर यही अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से नवम्बर 2025 यानि अपील संस्थित किये जाने से करीबन 6 माह पश्चात तक लेने हेतु वाद कार्यवाही संचालित रखता है। पहला तो यह कि जब वादी स्वयं जो अनुतोष 2016 से अधीनस्थ न्यायालय से चाह रहा है और उसी अनुतोष की डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के अधीन पारित फरमा दी गई है तो क्या कानून में ऐसी व्यवस्था भी है कि वह स्वयं के कथनों व चाहे गये अनुतोष के विपरीत भी अपीलीय न्यायालय के समक्ष आ जायेगा। दूसरा जो अनुतोष अपीलार्थी स्वयं के द्वारा संस्थित वाद में चाह रहा है वहीं अनुतोष जब माननीय न्यायालय ने प्रदान कर दिया तो अपीलार्थी स्वयं के द्वारा चाहे गये अनुतोष के लिये ही कैसे व्यथित हो जायेगा। तीसरा धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विबन्धन के सिद्धान्त के अधीन अपीलार्थी ने जो अभिवचन व जिस अनुतोष हेतु पूर्व का स्वयं वादी होकर बाई मिटस एण्ड बाउन्डस का वाद संस्थित किया गया है उसके विपरीत अभिवचन लेने से वादी वैसे ही बाधित ही रहेगा बल्कि ये तो वादी की उक्त अपीलाधीन आदेश बाबत स्वयमेव सहमति है जिससे वादी कभी भी पलट नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में विधि विरूद्ध रूप से झूठे, मनगढन्त अभिवचनों पर आधारित अपील, स्वयं द्वारा चाहे गये अनुतोष को प्रदान कर पारित आदेश की अपील, स्वयं द्वारा बताया जाकर आ रहा स्थाई पता जो नवम्बर 2025 यानि अपील संस्थन के 6 माह पश्चात तक प्रभावी रखा गया है, के विपरीत अन्य गांव में 10–12 वर्षों से निवासरत रहने से तामील नहीं होने के आधार पर संथित अपील विधि विरूद्ध होने से मय हर्जे खर्च के खारिज किये जाने योग्य है। उक्त अपील वैसे भी खारिज के काबिल है क्योंकि जब अपीलार्थी स्वयं बाई मिटस एण्ड बाउन्डस का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से नवम्बर 2025 तक यानि मई 2025 में अपील संस्थन से 6 माह पश्चात तक चाह रहा था तथा विबन्धन के सिद्धान्त से अपने शपथ पूर्वक लिये गये अभिवचनों के विपरीत कथन करने से बाधित है तो इसी आधार पर उक्त अपील काबिले खारिज है। यदि इस प्रकार की अपील की अपीलीय आदेश को अपास्त करने योग्य या प्रकरण रिमाण्ड करने योग्य मानी जावेगी तो केवल बँटवारे के अनुतोष पर आधारित वाद पक्षकारों के मध्य एक अन्तहीन कार्यवाही बनकर रह जावेगें तथा कभी न्याय नहीं हो पायेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने के विधि सम्मत आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2014(4)डीएनजे(राज0) 1313 राजस्थान हाई कोर्ट, 2014(4)डीएनजे(राज0) 1315 राजस्थान हाई कोर्ट, आरबीजे (25) 2018 प्रस्तुत किए हैं।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस

पर मनन करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 28.02.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई।

प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 134, 137, 138, 139, 500, 501, 502, 503, 507 कुल किता 9 कुल रकबा 11. 6577 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 133 रकबा 1.9497 है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 5.8248 है0, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.0647 है0, खसरा 132 रकबा 6. 3021 है0 उक्त विवादित आराजीयात अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से मुख्य उज्र विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं होने के उठाए गए क्यों कि अपीलांट का पता ग्राम कालानाडा वादपत्र में अंकित किया गया था जबकि अपीलांट ग्राम धौलपुरिया में निवास करता है।

अपीलांट द्वारा स्वयं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष एक प्रकरण 18/2016 प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलांट वादी है व अपीलांट का पता कालानाडा, तहसील अंराई जिला अजमेर लिखा है। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट के नोटिस विधिवत रूप से तामील हुए है जिनकी तामीली रसीद भी पत्रवली पर उपलब्ध है। बावजूद नोटिस तामील के अपीलांट प्रकरण में अनुपस्थित रहे ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है। चूंकि नोटिस तामील होने के उपरांत प्रकरण में अनेक पेशियां निकल जाने के पश्चात भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं होने बाबत उज्र उठाए गए तो उन्हें सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध चाराजोही करनी चाहिए थी परंतु अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं कर प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट स्वयं जो अनुतोष 2016 से अधीनस्थ न्यायालय से चाह रहा है और उसी अनुतोष की डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के अधीन पारित फरमा दी गई है उसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। दूसरा जो अनुतोष अपीलार्थी स्वयं के द्वारा संस्थित वाद में चाह रहा है वहीं अनुतोष जब न्यायालय ने प्रदान कर दिया तो अपीलार्थी स्वयं के द्वारा चाहे गये अनुतोष के लिये ही कैसे पीडित है। तीसरा धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विबन्धन के सिद्वान्त के अधीन अपीलार्थी ने जो अभिवचन व जिस अनुतोष हेतु पूर्व का स्वयं वादी होकर बाई मिटस एण्ड बाउन्डस का वाद संस्थित किया गया है, बल्कि ये तो अपीलांट की उक्त अपीलाधीन आदेश बाबत स्वयमेव सहमति है जिससे अपीलांट कभी भी पलट नहीं सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 4/रेस्पोडेंट संख्या 3 व 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उनके व उनके अभिभाषक द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस सिद्धांत के अनुसार बंटवारा किए जाने हेतु सहमति प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 05.07.2024 को हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अलग अलग रंगो से नजरी नक्शे में दर्शाने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी कर प्रकरण

में निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में किसी भी पक्षकार के हक हिस्से को कम व ज्यादा किए जाने हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

रेस्पोडेंट संख्या 3 व 5 द्वारा दिनांक 12.05.2025 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सपठित आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर कथन किया कि – No appeal shall lie from a decree passed by the court with the consent of the parties." उक्त प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किए जाने से रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

रेस्पोडेंट संख्या 3 व 5 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 07.05.2025 को प्रस्तुत की गई, चूंकि उक्त प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किए जाने से रेस्पोडेंट संख्या 3 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर